

न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
समक्ष गोपेश गर्ग

प्रकरण क्रमांक : 05बी/2016

संस्थापन दिनांक 28.03.2016

1. मैसर्स सराफ टेडर्स मौ द्वारा प्रोपराइटर- सुरेशचन्द्र जैन पुत्र सोलीराम जैन आयु 63 वर्ष जाति वैश्य व्यवसाय व्यापार निवासी वार्ड नं0 5 कटरा मोहल्ला मौ परगना गोहद जिला भिण्ड

— वादी

बनाम

- 1 मैसर्स कॉकसी टेडर्स ग्वालियर द्वारा प्रोपराइटर- श्रीमती शशि तिवारी पत्नी श्री नाथूराम तिवारी निवासी बी-106 सिन्धी कॉलोनी नेपाली माता मंदिर के सामने ग्वालियर

— प्रतिवादी

आदेश

(आज दिनांक..... को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के राजीनामा आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उभयपक्ष ने प्रकरण में स्वेच्छा से राजीनामा करना व्यक्त कर आवेदन पेश किया कि वादी ने प्रतिवादी से न्यायालय के बाहर दो लाख तैतीस हजार रुपये प्राप्त कर लिए हैं और बकाया धन वादी ने छोड़ दिया है जिसके संबंध में वह भविष्य में कार्यवाही नहीं करेगा। अतः राजीनामा अनुसार प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया है।
3. वर्तमान वाद वादी ने प्रतिवादी से धन वसूली हेतु प्रस्तुत किया था जिसमें उभयपक्ष ने स्वेच्छा से लोक अदालत में राजीनामा कर लिया है। अतः आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के अधीन राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज़ाप्त किया जाता है।
 1. प्रकरण उभयपक्ष द्वारा किए गए राजीनामा के आधार पर समाप्त किया जाता है।
 2. राजीनामा लोक अदालत में होने से वादी को न्यायशुल्क वापिस प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

3. राजीनामा आवेदन डिकी का अभिन्न अंग होगा।
तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जाये।

दिनांक :-

सही/-
(गोपेश गर्ग)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0